अनुदान संख्या 57 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	67459,05,00	74937,71,00	72554,49,71	-2383,21,29
पूरक	Supplementary	7478,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2337,80,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹238321.29 लाख) जुलाई 2017, दिसम्बर 2017 तथा मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹747866.00 लाख के पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹238321.29 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grants of ₹747866.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	2500.00	1841.05	1837.80	-3.25
पु.	R.	-658.95			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	780152.00			
पू.	S.	747859.00	1627700.44	1623197.54	-4502.90
पु.	R.	99689.44			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	422927.00			
पू.	S.	3.00	3.79	..	-3.79
पु.	R.	-422926.21			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5510500.00			
पू.	S.	2.00	5608780.95	5608752.51	-28.44
पु.	R.	98278.95			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	29826.00			
पू.	S.	2.00	21663.86	21661.86	-2.00
पु.	R.	-8164.14			

(I) ₹423147.00 लाख का प्रावधान (₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹422793.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹423147.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs) remained wholly unutilised under forty five heads; of these ₹422793.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:

(का) "माध्यमिक शिक्षा – अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹150.00 लाख;

(खा) "माध्यमिक शिक्षा – गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता" –

(क) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹24355.90 (₹0.90 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹28450.80 लाख (₹0.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(गा) "माध्यमिक शिक्षा – छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹1210.00 लाख;

(घा) "प्रारंभिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण" –

(क) "छात्रवृत्तियां" – ₹1550.00 लाख;

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹11330.00 लाख;

(ड़) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" –

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹69350.00 लाख;

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹169425.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम" – ₹1200.00 लाख;

(A) "Secondary Education - Research and Training- Grants to Autonomous Bodies" - ₹150.00 lakhs;

(B) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(a) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹24355.90 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.90 lakh);

(b) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - ₹28450.80 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.80 lakh);

(C) "Secondary Education-Scholarships-Scholarships" - ₹1210.00 lakhs;

(D) "Elementary Education- Teachers Training"-

(a) "Scholarships" - ₹1550.00 lakhs;

(b) "National Education Mission- Teachers Training and Adult Education" - ₹11330.00 lakhs;

(E) "Elementary Education - Other Expenditure"-

(a) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" - ₹69350.00 lakhs;

(b) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹169425.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh);

(c) "Umbrella Programme for Development of Minorities" - ₹1200.00 lakhs;

(चा) "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम" –

(क) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए वीएएस/एसआरसीएस/संस्थानों को सहायता" – ₹340.00 लाख;

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹2300.00 लाख;

(छा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹3560.00 लाख;

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹14250.00 लाख;

(ग) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹4115.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "छात्रवृत्तियां" – ₹850.00 लाख;

(ङ) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹34815.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(च) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹5750.00 लाख;

(जा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1810.00 लाख;

(F) "Adult Education - Other Adult Education Programme"-

(a) "Support to VAs/SRCs/Institutions for Adult Education and Skill Development" - ₹340.00 lakhs;

(b) "National Education Mission - Teachers Training and Adult Education" - ₹2300.00 lakhs;

(G) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "National Education Mission - Teachers Training and Adult Education" - ₹3560.00 lakhs;

(b) "Elementary Education - Other Expenditure" - ₹14250.00 lakhs;

(c) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹4115.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(d) "Scholarships" - ₹850.00 lakhs;

(e) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹34815.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(f) "National Education Mission- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - ₹5750.00 lakhs;

(H) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "National Education Mission-Teachers Training and Adult Education" - ₹1810.00 lakhs;

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹11400.00 लाख;

(ग) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹4030.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "छात्रवृत्तियां" – ₹590.00 लाख;

(ङ) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹27860.55 लाख (₹0.55 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(च) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹4100.00 लाख।

उपर्युक्त तेईस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2202" – "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को अनुदान" के अंतर्गत ₹1770.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹91.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1861.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹189.72 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग" ₹662.20 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, प्रकाशन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Elementary Education- Other Expenditure" - ₹11400.00 lakhs;

(c) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹4030.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(d) "Scholarships" - ₹590.00 lakhs;

(e) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹27860.55 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.55 lakh); and

(f) "National Education Mission- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹4100.00 lakhs.

Provisions under the above twenty three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2202" - "Elementary Education - Other Expenditure - Grants to Autonomous Bodies" - the original provision of ₹1770.00 lakhs was augmented to ₹1861.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹91.00 lakhs. However, there was a saving of ₹189.72 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards implementation of 7th Central Pay Commission.

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of School Education and Literacy"- saving of ₹662.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salary, publication and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष “2202” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “प्रारंभिक शिक्षा” –

(क) “शिक्षक प्रशिक्षण – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण प्रौढ़ शिक्षा” – ₹510.22 लाख की बचत (₹705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और स्कीम के समाप्त होने के कारण हुई।

(ख) “विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” –

(i) “बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता” – ₹462.67 लाख की बचत (₹1820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने कारण हुई।

(ii) “राष्ट्रीय संघटक” – ₹1383.09 लाख की बचत (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, मिडिया समिति की बैठक का आयोजन न किए जाने और प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” –

(i) “विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम” – ₹423.86 लाख की बचत (₹520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2202” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Elementary Education” -

(a) “Teachers Training- National Education Mission- Teachers Training and Adult Education”- saving of ₹510.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹705.00 lakhs) due to non-receipt of proposals from Union Territories and discontinuation of the Scheme.

(b) “National Programme of Mid Day Meals in Schools”-

(i) “Assistance to Union Territories without legislature” - saving of ₹462.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1820.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territories and slow pace of construction works.

(ii) “National Component” - saving of ₹1383.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity, non-conduction of meeting of Media Committee and non-receipt of proposals.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “National Programme of Mid Day Meals in Schools” - saving of ₹423.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹520.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territories.

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹543.09 लाख की बचत (₹1520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यर्पित शेष की उपलब्धता होने, वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और निर्माण कार्यकलापों की धीमी प्रगाति होने के कारण हुई।

(ii) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - saving of ₹543.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1520.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with Union Territories without legislature, receipt of proposals at the fag end of the year and slow pace of construction activities.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹372.76 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹151.35 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ii) "छात्रवृत्ति" – ₹561.26 लाख की बचत (₹5960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय" – ₹105.86 लाख की बचत (₹728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, कम बैठकों/संगोष्ठियों का आयोजन किए जाने से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Secondary Education"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - saving of ₹372.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- saving of ₹151.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(ii) "Scholarships" - saving of ₹561.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5960.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards scholarship.

(C) "Adult Education - Direction and Administration - Directorate of Adult Education"- saving of ₹105.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹728.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, conduction of less Meetings/ Seminars and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1264.12 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹47096.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "Central Assistance/Share - National Education Mission- Teachers Training and Adult Education" - saving of ₹1264.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47096.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to less receipt of viable proposals.

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹7505.00 लाख की बचत (₹176730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों को आवर्ती केन्द्रीय सहायता के लिए कम संवर्तन होने के कारण हुई।

(a) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" - saving of ₹7505.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹176730.00 lakhs) was due to less concurrence for recurring central assistance to State Governments.

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1209.63 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14476.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "National Education Mission - Teachers Training and Adult Education" - saving of ₹1209.63 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14476.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1740.99 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8018.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(C) "Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission - Teachers Training and Adult Education"- saving of ₹1740.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8018.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से उपयोगी प्रमाणपत्र की प्राप्ति विलंब से होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delayed receipt of utilization certificates from the State Governments.

(घा) "आरक्षित निधि/जमा खाता को अंतरण – प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधि" – ₹196300.00 लाख की बचत (₹2110280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh"- saving of ₹196300.00 lakhs (against the

तुलना में) कम शिक्षा उपकर संग्रहण होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹2110280.00 lakhs) was due to collection of less Education Cess and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:

(का) "केन्द्रीय सहायता / शेयर" –

(A) "Central Assistance/ Share" -

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹444.64 लाख की बचत (₹1764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदान के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) "National Education Mission - Teachers Training and Adult Education" - saving of ₹444.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1764.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under recurring grants.

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹116.36 लाख की बचत (₹2478.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - saving of ₹116.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2478.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards advertising and less tours undertaken.

(ग) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" – ₹5730.81 लाख की बचत (₹10798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र का वित्त पोषण पैटर्न के संशोधन की वजह से बजट प्रावधान में कटौती किए जाने और दिल्ली सरकार द्वारा दूसरी किस्त के लिए मेचिंग शेयर के जारी न किए जाने के कारण हुई।

(c) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" - saving of ₹5730.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10798.00 lakhs) was due to reduction of budget provision owing to revision of funding pattern of Union Territory with Legislature and non-release of its matching share for the 2nd installment by Government of Delhi.

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹344.93 लाख की बचत (₹440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र से उपयोगी प्रमाणपत्र की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(a) "National Education Mission- Teachers Training and Adult Education" - saving of ₹344.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹440.00 lakhs) was due to delayed receipt of utilization certificates from concerned Union Territories.

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹973.97 लाख की बचत (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2200.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ग) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न योजना कार्यक्रम" – ₹2070.72 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त पोषण पैटर्न के संशोधन की वजह से बजट प्रावधान की कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹58.34 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹388750.44 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹747866.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(i) "शिक्षा प्रशिक्षण – छात्रवृत्ति" – ₹148.28 लाख

(ii) "सर्व शिक्षा अभियान – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹6149.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2401.50 लाख था।

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(1) "छात्रवृत्ति" – ₹148.76 लाख।

(2) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹2472.16 लाख।

(b) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan" - saving of ₹973.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2200.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh) was due to availability of unspent balance of previous year.

(c) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" - saving of ₹2070.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to reduction of budget provision owing to revision of funding pattern.

(VII) Under one head saving of ₹58.34 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above saving were partly (₹388750.44 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹747866.00 lakhs - under the following major heads: -

(A) Major Head "2202"-

(a) "Elementary Education" -

(i) "Teachers Training - Scholarships"- ₹148.28 lakhs.

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan- National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹6149.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹2401.50 lakhs.

(iii) "Tribal Area Sub-Plan"-

(1) "Scholarships" - ₹148.76 lakhs.

(2) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" -

वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2471.91 लाख था।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹4127.00 लाख।

(ii) "गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता" –

(1) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹69822.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹69821.75 लाख था।

(2) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹464.24 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹463.83 लाख था।

(iii) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹13725.00 लाख।

(iv) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹5735.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता / शेयर" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्वशिक्षा अभियान" – ₹132790.17 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹132789.83 लाख था।

₹2472.16 lakhs. Actual excess, however, was ₹2471.91 lakhs.

(b) "Secondary Education"-

(i) "Research and Training- Grants to Autonomous Bodies" - ₹4127.00 lakhs.

(ii) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(1) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹69822.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹69821.75 lakhs.

(2) "National Education Mission- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - ₹464.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹463.83 lakhs.

(iii) "Special Component Plan for Scheduled Castes- Grants to Autonomous Bodies"- ₹13725.00 lakhs.

(iv) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies" - ₹5735.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Central Assistance/ Share"-

(i) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹132790.17 lakhs. Actual excess, however, was ₹132789.83 lakhs.

(ii) "ऱाष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹44847.68 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹44846.69 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्वशिक्षा अभियान" – ₹33770.42 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹33770.29 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹8654.29 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹8654.09 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्व शिक्षा अभियान" – ₹58968.54 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹58968.52 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" – ₹5353.35 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹5353.05 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – सर्वशिक्षा अभियान" – ₹1574.30 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1572.60 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(ii) "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹44847.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹44846.69 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Education Mission- Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹33770.42 lakhs. Actual excess, however, was ₹33770.29 lakhs.

(ii) "National Education Mission - Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - ₹8654.29 lakhs. Actual excess, however, was ₹8654.09 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹58968.54 lakhs. Actual excess, however, was ₹58968.52 lakhs.

(ii) "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" - ₹5353.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹5353.05 lakhs.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes- Central Assistance/Share - National Education Mission - Sarva Shiksha Abhiyan" - ₹1574.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹1572.60 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" – "प्रौढ़ शिक्षा – अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा" – ₹1252.78 लाख का अधिक व्यय (₹909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षार्थी का संचालन मूल्यांकन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता / शेयर – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न योजना कार्यक्रम" – ₹14734.37 लाख का अधिक व्यय (₹616532.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न योजना कार्यक्रम" – ₹7094.23 लाख का अधिक व्यय (₹93738.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तात्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

(A) Major Head "2202" - "Adult Education - Other Adult Education Programmes - National Education Mission-Teachers training and Adult Education" - excess of ₹1252.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹909.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards conduction of learners' assessment by National Institute of Open Schooling.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Central Assistance/Share - National Programme of Mid Day Meals in Schools" - excess of ₹14734.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹616532.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan - National Programme of Mid Day Meals in Schools" - excess of ₹7094.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93738.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. Prarambhik Shiksha Kosh

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (No.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय “सर्व शिक्षा अभियान” और “मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम” पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता से व्यय किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Sarva Shiksha Abhiyan' and “Mid-Day Meal Scheme”. Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2017–18 में ₹21102.80 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2017–18 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

A provision of ₹21102.80 crores was made in the Union Budget 2017-18 for initial transfer to Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2017-18 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2017–18 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for the year 2017-18 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1808,82,63
प्राप्तियां	Receipt	19139,80,00
अदायगियां	Payments	19091,14,00
अंतशेष	Closing Balance	1857,48,63